



कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)
क्र० : जिपप्र/महात्मा गांधी नरेगा/सा.अ./2022-23/55 दि० : 4-10-2022

विज्ञप्ति


ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण

महत्मा गाँधी नरेगा एवं अन्य योजना अन्तर्गत सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु कुल 39 ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जिला स्तर पर आवंटित पदों के लिए संविदा आधार पर एक वर्ष के लिए अस्थाई नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र जिला स्तर पर दिनांक 1.10.2022 से 15.10.2022 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/ प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या -39	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक / कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	15.10.2022

विज्ञप्ति का विस्तृत विवरण जिले की वेबसाईट <https://pratapgarh.rajasthan.gov.in> पर अवलोकन किया जा सकता है।

राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन लोकल पृष्ठ पर करें।



जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं
जिला कलक्टर प्रतापगढ़

कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस), एवं जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)
क्र० : जिपप्र/महात्मा गांधी नरेगा/सा.अ./2022-23/ 56 दि० : 12-10-2022

संशोधित विज्ञप्ति

इस कार्यालय के पत्रांक जिपप्र/महात्मा गांधी नरेगा/सा.अ./2022-23/55 दिनांक 04.10.2022 द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31.10.2022 तक बढ़ाई जाती है। शेष शर्तें यथावत ही रहेगी।

राजस्थान पत्रिका को भेजकर लेब है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन लोकल पृष्ठ पर करें।


जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं
जिला कलक्टर प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) (जिला.....)

क्रमांक :

दिनांक :

संशोधित विज्ञप्ति

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग (MoRD), भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश / अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय (मासिक आधारित) पर निर्धारित शर्तों पर एक वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online applications) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. सेवाओं के लिए मुख्य शर्तों का सारांश :-

क्र. सं.	सेवा का नाम	संख्या	मानदेय	निर्धारित योग्यताएँ			आवेदन की अंतिम तिथि
				शैक्षणिक	तकनीकी/प्रशैक्षणिक	आयु (आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु)	
1.	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)	जिलों को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या	500/- प्रति व्यक्ति प्रति दिवस (सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार)	स्नातक	सूचना प्रौद्योगिक/कम्प्यूटर कार्य में दक्षता एवं RKCL द्वारा करवाये जा रहे कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (RSCIT)	21-64 वर्ष अधिकतम	15.10.2022

2. आवेदन हेतु दिशा निर्देश :-

1. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित करने हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश संख्या 10/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार ऑनलाइन (Online) रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार एवं वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र लिये जायेंगे।

2. सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application Form) में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सम्बन्धित जिला कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति एवं अन्य आदेशों, दिशा-निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले तथा इनमें दिये गये निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही आवेदन भरे। आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गयी है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गयी प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार भी स्वीकार नहीं किया जायेगा। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

3. परीक्षा शुल्क – आवेदक द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सामान्य अभ्यर्थी से 100 रुपये का परीक्षा शुल्क ऑनलाइन अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला परिषद कार्यालय के बैंक खाता संख्या बैंक एवं शाखा का नाम..... आईएफसी कोड..... में ऑनलाइन जमा कराना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति.पिछड़ा वर्ग के आवेदको परीक्षा शुल्क जमा करवाने से छूट होगी।

4. पात्रता, आयु, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें :-

सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों व्यक्तियों के चयन संबंधी विनियम 2020 के आदेश क्रमांक एफ61(21)SSAAT/नियमावली/23019/7497-7514 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) एवं संशोधित विनियम समसंख्यक आदेश क्रमांक 1805 दिनांक 27.11.2020 (आदेश संख्या 10/2020) की पालना की जावे। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु, शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार हैं, जिनके लिए सोसायटी के विनियमों में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं (Qualifications) होनी आवश्यक है।

1. शैक्षणिक योग्यता – पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
2. प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता – RSCIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा/डिग्री/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
3. आयु – आवेदन की अन्तिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी।
4. आवेदन सिविल सोसायटी/संगठन से होना चाहिए।
5. आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परन्तु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे।
6. आवेदन-कर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ व समर्थ होना चाहिये।

चयन प्रक्रिया :-

1. उपरोक्त सभी आहरताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
 - (क) उपरोक्त बिन्दु संख्या 4(1)(2) एवं (3) के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंकतालिकाएं, प्रमाण पत्र।
 - (ख) बिन्दु संख्या 4(5) के लिए स्व हस्ताक्षरित घोषण पत्र
 - (ग) बिन्दु संख्या 4(6) के लिए राजकीय चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 - (घ) बिन्दु संख्या 4(4) के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवी संस्थाओं/सिविल सोसायटी संगठनों/इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किये गये कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किये गये भुगतान का विवरण अंकित हो।
2. आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें 60 प्रतिशत प्राप्तांक अनिवार्य है।
3. आवेदक की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में ही लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है। अन्यथा आवेदकों की संख्या (पदों की संख्या से तीन गुणा से कम) कम होने पर योग्यता संबंधी मापदण्डों के आधार पर वरियता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के विरुद्ध 1.5 गुणा आवेदकों की वरियता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार की जायेगी।
4. लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत एवं उच्चतम प्रशैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरियता सूची (Merit List) तैयार की जायेगी।

5. आवेदन कर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत (मूल निवास वाली ग्राम पंचायत) का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। इस हेतु आवेदक का मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार माना जावेगा।
6. ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
7. ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में तीन सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के (संविदा कार्मिकों) चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण /रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जावेगी।
9. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वयक कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जावेगा।

6. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कराने की अंतिम तिथि :-

ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 01.10.2022 से दिनांक 15.10.2022 की मध्य रात्रि 12 बजे तक सम्बन्धित जिला कार्यक्रम समन्वयक की वेबसाइट पर भरे जायेंगे।

7. मेरिट बनाना एवं दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :-

1. दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मतता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिये आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
2. दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन सम्बन्धित चयन समिति द्वारा किया जावेगा और इसके पश्चात् ही अन्तिम वरीयता सूची तैयार की जावेगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसायटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थिति रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रूचि नहीं रखते हैं वरियता सूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
8. ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो संविदा सेवायें लिया जाना प्रस्तावित हैं, वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रही हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिये जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जावेगा। मासिक संविदा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल एक वर्ष का अनुबन्ध किया जावेगा। अनुबन्ध अवधि समाप्ति के उपरांत पुराने अनुबन्ध की अवधि में वृद्धि नहीं की जावेगी वरन् सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी/ संतोषप्रद कार्य सम्पादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबन्ध ही किया जावेगा। चयनित व्यक्ति को 100 रु के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र भरना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिये अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवायें पूर्णतः अस्थायी एवं मासिक संविदा आधारित हैं।
9. कोई भी आवेदक किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित व्यक्ति पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनैतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित करेंगे।
10. उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकार इन सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी अर्थात् श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति (EC) SSAAT को प्राप्त होंगे।
11. विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्यायक्षेत्र केवल संबंधित जिला न्यायालय होंगे।

संलग्न- जिलो को आवंटित ब्लॉक
संसाधन व्यक्तियों की सूची

जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर
जिला.....

जिला

आवेदन पत्र का प्रारूप

ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नाम जन्म की तारीख आयु (दिनांक 10.2022 को) वर्ष मारा

पिता/पति का नाम माता का नाम विवाहिक स्थिति वर्ग विशेष वर्ग

वार्षिक पारिवारिक आय गोबाईल नंबर वैकल्पिक मोबाईल नंबर

ई-मेल स्थाई पता गाँव का नाम ग्राम पंचायत का नाम

पंचायत समिति का नाम जिला आधार नंबर

पत्राचार का पता

शैक्षणिक योग्यता

कस	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	रोल नंबर	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत

तकनीकी योग्यता

कस	परीक्षा का नाम	विषय समूह	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	अनुक्रमांक	परिणाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	RSCIT								
2	Degree/ Diploma								
3.									

क्या आप शारीरिक रूप से समर्थ एवं स्वस्थ हैं ? हाँ / नहीं

क्या आपने कभी निम्नलिखित के साथ काम किया है/अनुभव : हाँ / नहीं यदि हाँ तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

क्र.सं.	पद का नाम	अवधि से	अवधि तक	सेवा की अवधि	प्राप्त मासिक वेतन	कर्तव्य की प्रकृति
1.	ग्राम विकास विभाग/ पंचायतीराज विभाग					
2.	सामाजिक अकेक्षण					
3.	गैर सरकारी संगठन					

डिबारमेंट / आपराधिक मामलों का विवरण

क्या किसी बोर्ड / लोक सेवा आयोग में आपको अपनी प्रतियोगिता / भर्ती परीक्षा में अनुचित साधनों आदि के प्रयोग के लिए वर्जित किया है। हाँ / नहीं

क्या आपको कभी किसी अपराध के लिए सजा हुई है। हाँ / नहीं

दिनांक


आवेदक के हस्ताक्षर

नरगा लख्या

10/10/2022



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एसएसओ बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033



दिनांक: 07 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ.61(158)SSAAT / सा.अंके. / 2020-21 / 9729

समस्त जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरगा)
राजस्थान

विषय- ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जिला स्तर पर ऑनलाइन चयन करने के संबंध में दिशा निर्देश।
संदर्भ- कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ.61(158)SSAAT / सा.अंके. / 2020-21 / 9559 दिनांक 28.09.2022 एवं पत्र क्रमांक 9584 दिनांक 29.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में जिलेवार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु चयन संबंधी निम्नलिखित ऑनलाइन प्रक्रिया अपनावें-

- केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन लिये जायेंगे।
- जिलेवार ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वप्रथम जिले की वेबसाइट पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप हेतु मेनूबार में "ऑनलाइन एप्लीकेशन" के नाम से सृजित करें।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" मेनू में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के आवेदन पत्र का प्रारूप (संलग्न) पीडीएफ फॉरमेट में अपलोड करें जिससे अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्राप्त कर सकें।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" मेनू में नवसृजित ई-मेल एड्रेस भी लिखें।
- ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर एक नवसृजित ई-मेल आईडी के द्वारा आवेदन लिये जायें।
- भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु एक ई-मेल आईडी केवल आवेदन प्राप्त करने हेतु सृजित की जावे, जिस पर आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र पीडीएफ फॉरमेट में संलग्नको सहित मेल कर सकें।
- यह नवसृजित ई-मेल आईडी केवल आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु सृजित हो तथा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि उपरान्त जिला स्तर पर गठित समिति के समक्ष इसे Open कर सभी आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसमें क्रम संख्या अंकित करें। प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति के सदस्यों के लघु हस्ताक्षर अंकित होने आवश्यक है।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाये जाने वाले आवेदन पत्र, संलग्नकों सहित स्कैन कर पीडीएफ फाइल में भेजें जो पांच एमबी से ज्यादा न हो।
- उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जायें जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र भर कर उसे जिले की नवसृजित ई-मेल एड्रेस पर पीडीएफ फाइल में निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व भेज दें।
- आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100/- ₹0 SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सचिवालय शाखा (IFSC Code SBIN0031031) के खाता संख्या 38872762396 में Director, SSAAT के नाम से जमा करावें तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ई-मेल पर भिजवायें।
- अजा/अजजा/अति पिछड़ावर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट देय होगी।
- "ऑनलाइन एप्लीकेशन" के नाम से सबमेनू एवं नई ई-मेल आईडी सृजन के उपरान्त ब्लॉक संसाधन व्यक्ति चयन की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर उसमें उक्त प्रक्रिया को वर्णित करे ताकि अभ्यर्थी अपने आवेदन ऑनलाइन भर सकें। संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 31.10.2022 तक बढ़ाया जाये।

मुख्य, (संदीप चौहान)

निदेशक
दिनांक: 07 अक्टूबर 2022

क्रमांक एफ.61(158)SSAAT / सा.अंके. / 2020-21 / 9730-33

- प्रतिलिखित निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-
1. जिले के सचिव, आयुक्त, ईजीएस
 2. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक नरगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
 3. सचिवनिदेशक / सहायिकाधिकारी (सामाजिक अंकक्षण एवं प्रशासन) सहायक लेखाधिकारी, समस्त, SSAAT.
 4. संबंधित पंचायती।

sd (संदीप चौहान)
निदेशक

1. ऑनलाईन पत्र के स्पष्ट रूप भरकर पीडीएफ में बनाकर ऑनलाईन अपलोड करें
2. भरे हुए पत्र को निम्न ई-मेल lekha.zppratapgarh@gamil.com पर अपलोड करें